मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

उनवान

1. श्रीचारभूजा जी स्थान देह आकोला जरिये पूजारी श्री प्रभूदास पिता चम्पादास जाति–वैष्णव आयु 70 वर्ष निवासी आकोला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
   1/1. कन्हैयालाल पिता स्व0 प्रभुदास जी वैष्णव आयु 60 वर्ष निवासी आकोला
   1/1/1. दीपक पिता स्व0 कन्हैयालाल जाति वैष्णव आयु 32 वर्ष निवासी आकोला
   1/1/2. ज्योति पिता स्व0 कन्हैयालाल जाति वैष्णव आयु 29 वर्ष निवासी आकोला
   1/1/3. हेमलता पिता स्व0 कन्हैयालाल जाति वैष्णव आयु 27 वर्ष निवासी आकोला

   1/2. राजु प्रसाद पिता स्व0 प्रभुदास जी वैष्णव आयु 45 वर्ष निवासी आकोला
   1/3. श्रीमती मीराबाई पुत्री स्व0 प्रभुदास जी वैष्णव आयु 57 वर्ष निवासी आकोला
   1/4. श्रीमती निर्मला पुत्री स्व0 प्रभुदास जी वैष्णव आयु 56 वर्ष निवासी आकोला
   1/5. श्रीमती लाली पुत्री स्व0 प्रभुदास जी वैष्णव आयु 52 वर्ष निवासी आकोला

वादीगण

बनाम

1 श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रतिवादी

दावा बाबत:– .88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मुकदमा नम्बर :– 247/2015
निर्णय दिनांक :–.08.07.2021

वादी की ओर से श्री रामदयाल दाधीच की व प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार भूपालसागर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08.07.2021 को सुखाराम पिण्डेल (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, **भूपालसागर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – राजस्व ग्राम आकोला की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 1468 जिसके आराजी नं. 5585,5586,5587,5588,5589,5590,5644,5645,5646,5647 व 5648 कुल किता 11 कुल रकबा 2.59 हैक्टेयर भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर हाल राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अंकित वादी **'श्री चारभुजा जी छीपा मंदिर स्थान देह'** के स्थान पर **'श्री चारभुजा जी स्थान देह'** दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख .08.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर भूपालसागर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
8. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
9. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
10. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
11. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	
12. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामिल	
13. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
14. आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.07.20 13:07:12 IST
Reason: SelfAttested

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर भूपालसागर
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्याः– 247/2015
दायर दिनांकः– 09/09./2015
निर्णय दिनांकः– 08.07.2021

उनवान

1. श्री चारभूजा जी स्थान देह आकोला जरिये पूजारी श्री प्रभूदास पिता चम्पादास जाति–वैष्णव आयु 70 वर्ष निवासी आकोला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
   1/1. कन्हैयालाल पिता स्व0 प्रभुदास जी वैष्णव आयु 60 वर्ष निवासी आकोला
      1/1/1. दीपक पिता स्व0 कन्हैयालाल जाति वैष्णव आयु 32 वर्ष निवासी आकोला
      1/1/2. ज्योति पिता स्व0 कन्हैयालाल जाति वैष्णव आयु 29 वर्ष निवासी आकोला
      1/1/3. हेमलता पिता स्व0 कन्हैयालाल जाति वैष्णव आयु 27 वर्ष निवासी आकोला

   1/2. राजु प्रसाद पिता स्व0 प्रभुदास जी वैष्णव आयु 45 वर्ष निवासी आकोला
   1/3. श्रीमती मीराबाई पुत्री स्व0 प्रभुदास जी वैष्णव आयु 57 वर्ष निवासी आकोला
   1/4. श्रीमती निर्मला पुत्री स्व0 प्रभुदास जी वैष्णव आयु 56 वर्ष निवासी आकोला
   1/5. श्रीमती लाली पुत्री स्व0 प्रभुदास जी वैष्णव आयु 52 वर्ष निवासी आकोला

वादीगण

बनाम

1. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः– 1. श्री रामदयाल दाधीच
2. श्री पेरोकार सरकार

–:निर्णयः

वकील वादी की और से एक वादपत्र अंतर्गत धारा–88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से हैः–

यह है कि मोजा आकोला पटवार हल्का आकोला तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी मे मोजुदा रेवन्यु रेकार्ड की आराजी संख्या 5585 रकबा 0.02 हे0, आ0स0 5586 रकबा 0.04 हे0, आ0स0 5587 रकबा 0.06 हे0, आ0स0 5588 रकबा 0.02 हे0, आ0स0 5589 रकबा 0.02 हे0, आ0स0 5590 रकबा 0.18 हे0, आ0स0 5644 रकबा 0.02 हे0, आराजी स0 5645 रकबा 0.41 हे0, आ0स0 5646 रकबा 0.03 हे0, आ0स0 5647 रकबा 0.72 हे0, आ0स0 5648 रकबा 0.04 हे0 कुल किता 11 कुल रकबा 2.59 हे0 स्थित है। उपरांकित हाल आराजीयात साबिक रेवेन्यु रेकार्ड की आराजी स0 3352,3481,3482,3483,3484,3485,3486,3487,3353,3354,3355,3356,3357,3358 से बनी है। उपरांकित सभी आराजीयात श्री चारभुजा जी स्थान देह की खातेदारी की है मै वादी उक्त चारभुजाजी स्थान देह का पुजारी हूं। जिससे उक्त वाद बतौर वादी प्रस्तुत कर रहा हूं।

यह कि साबिक रेवेन्यु रिकार्ड मे उपरांकित आराजीयात चारभुजा जी स्थान देह की खातेदारी से अंकित है। हाल राजस्व रेकार्ड मे उपरोक्त हाल आराजीयात को राजस्व रेकार्ड में श्री चारभुजा जी छीपा मन्दिर स्थान देह की खातेदारी से गलत अंकित कर दिया, जबकि उपरोक्त आराजीयात छीपा मन्दिर की न होकर सिर्फ श्री चारभुजा जी मन्दिर की खातेदारी की है। अतः उपरोक्त हाल आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे गलत अंकित छीपा शब्द को हटाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः इस आशय की दुरूस्ती इन्द्राज एंव घोषणा कराया जाना आवश्यक हो गया है कि वादपत्र की कालम स0 एक की उल्लिखित आराजीयात बाबत दर्ज खातेदारी श्री चारभुजाजी छीपा मन्दिर स्थान पर श्री चारभुजा जी स्थान देह सही दर्ज किया जावें उक्त आशय की घोषणा डिक्री बहक वादी प्रदान कराई जावें।

यह है कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर दुरूस्ती इन्द्राज एवं [illegible]कार की घोषणा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की फरमाई जावे कि [illegible] वर्णित हाल आराजीयात गलत दर्ज श्री चारभुजा जी छीपा मन्दिर स्थान देह [illegible] दर्ज खातेदारी अं[illegible]स्त फरमा उसके बजाय सही अंकन श्री चारभुजा जी स्थान देह अंकित किया जा[illegible] आशय की घोषणा [illegible] वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सादिर प्रदान कराई जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया बाद [illegible]न तामिल प्रतिवादी तहसीलदार भूपालसागर का जवाब पेश हुआ जिसमे बताया की साबिक बन्दोबस्त जमाबन्दी रोटेशन संवत् 2036–2039 में खाता संख्या 234 पर खातेदार चारभुजाजी स्थान देह आराजी किता 14 रकबा 12 बीघा है। नामान्तकरण संख्या 292 से पुजारीयों के नाम हटाकर शाश्वत नाबालिग मूर्ति मंदिर चारभुजाजी स्थान देह खातेदार दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.07.20 13:07.12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

ग्राम आकोला की जमाबंदी संवत् 2064–2067 के खाता नम्बर 1468 किता 11 रकबा 2.59 हैक्टेयर जो साबिक जमाबंदी 2036–2039 का एक पार्ट है में नवीन बदलाव 'छीपा मन्दिर' कर दिया है जबकि पुराना बन्दोबस्ती रिकोर्ड मे केवल मात्र चारभुजा जी स्थान देह ही इन्द्राज किया हुआ है।

इस प्रकरण मे बाद तहसीलदार भूपालसागर के जवाब तनकीयात कायम की गई जिसमें तनकी संख्या 1 के संबंध में वादी ने अपने साक्ष्य में वादी (पुजारी की हैसियत से) ने गवाह दिनेश कुमार पिता कालूदास वैष्णव, बाबूलाल पिता कसना खटीक, प्यारचंद पिता गिरधारी कुमावत व दीपक पिता कन्हैयालाल वैष्णव निवासीगण आकोला के शपथ–पत्र पेश किये गये जिसमें श्री चारभुजा जी स्थान देह आकोला के नाम से ही मन्दिर होना बताया गया तथा इस में छीपा समाज का किसी भी प्रकार का हक व नाम होना नहीं बताया। पेरोकार सरकार द्वारा जिरह नहीं करने व साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर जिरह व साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। पेरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वादीगण के शपथ–पत्र, अन्य दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथ–पत्र व वकील वादीगण एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार भूपालसागर की बहस के आधार पर वादीगण का वाद अंर्तगत धारा–88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम आकोला की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 1468 जिसके आराजी नम्बर 5585,5586,5587,5588,5589,5590,5644,5645,5646,5647 व 5648 कुल किता 11 कुल रकबा 2.59 हैक्टेयर भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर हाल राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अंकित वादी **'श्री चारभुजा जी छीपा मन्दिर स्थान देह'** के स्थान पर **'श्री चारभुजा जी स्थान देह'** दर्ज किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

08/7/21

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.07.20 13:07:12 IST
Reason: SelfAttested